# संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
# Salient features of the constitution

## संविधान के स्त्रोत Sources of the constitution

हमारा संविधान जिसे 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने अंगीकार किया तथा जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। कुछ निश्चित स्त्रोतों की देन है।

1. ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित अधिनियम (Laws made by the british parliament) ब्रिटिश शासकों ने भारत पर शासन करने हेतु कानूनी व्यवस्था स्थापित की, जिसका इतिहास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट (Regulating act) से लेकर 1947 के भारत स्वतन्त्रता अधिनियम तक आता है। इनमें 1919 व 1935 के भारत सरकार अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है। 1919 के एक्ट या मांटफोर्ड सुधारों ने द्वि-सदनात्मक संसद स्थापित की जो स्वतन्त्रता के आगमन तक चली।

2. विदेशी संविधानों से ली गयी व्यवस्थाएँ, Systems borrowed from foreign constitu

हमारे संविधान-निर्माताओं ने इस सूत्र को माना कि जहाँ से गुण मिले, उसे ग्रहण किया जाये। वे संवैधानिक व्यवस्थाओं की व्यापक जानकारी रखते थे, इसीलिए उन्होंने अपने देश की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुकूल व्यवस्थाओं की व्यापक जानकारी रखते थे। इसीलिए उन्होंने अपने देश की आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुकूल जो ठीक समझा उसे अन्य देशों के संविधानों से प्राप्त किया।

3. संविधान सभा की चर्चाएँ (Debates of the constituent assembly)

प्रारूप समिति ने संविधान के अनुच्छेदों को लिखा, लेकिन उन्हे पास करते समय सदन में काफी चर्चा हुई।
जब किसी मुद्दे पर गहन विचार किया जाता है, तो संविधान सभा की इन्ही चर्चाओं का हवाला दिया जाता है।

## संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

(Salient features of the constitution)

हर संविधान की अपनी विशेषताएँ होती है। जिन्हे देखकर उसकी सम्पूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। यही बात भारत के संविधान के बारे में कही जा सकती है। जो हम भारत के लोगों ने भारत के लोगों के लिए बनाया है। इन विशेषताओं को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

1. उपयोजनशीलताएँ (Derivations) — संविधान निर्माताओं अपने देश की आवश्यकताओं लोगों की आकांक्षाओं तथा समकालीन परिस्थितियों से अवगत थे।
2. निर्मित व लिखित संविधान — Enacted and Written constitution) हमारा संविधान लम्बे विकास की देन नहीं है। जैसा हम ब्रिटिश संविधान के बारे में देखते है। संविधान सभा ने इसे बनाया है।
3. प्रभुता सम्पन्न, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र) Sovereign, Socalist Secular, democratic Republic) इसने भारत को प्रभुता सम्पन्न राज्य बना दिया, अब भारत विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। इसने लोकतान्त्रिक समाजवाद को मान्यता दी है, जिसका रूप इंग्लैण्ड के फेबियनवाद से मिलता जुलता है।